

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक:- मुसप्र/2022/1142

दिनांक : 03/03/2022

आदेश


आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय/अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर के प्रस्तावानुसार जोधपुर चौपाटी में निर्मित 22 दुकानें एवं 10 कियोस्क का विवरण निम्नानुसार है :-

निर्मित दुकानों की संख्या :- JCS-1, JCS-2, JCS-3, JCS-4, JCS-5, JCS-6, JCS-7, JCS-8, JCS-9, JCS-10, JCS-11, JCS-12, JCS-13, JCS-14, JCS-15, JCS-16, JCS-17, JCS-18, JCS-19, JCS-20, JCS-21, JCS-22

कियोस्क की संख्या :- JCK-1, JCK-2, JCK-3, JCK-4, JCK-5, JCK-6, JCK-7, JCK-8, JCK-9, JCK-10


उक्त निर्मित 22 दुकानें एवं 10 कियोस्क को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने के संबंध में मुख्य अभियन्ता-द्वितीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली नीलामी से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक